न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर
पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 266 सन 2022
अनवान :–

1. रामप्रताप पुत्र जेठाराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. रणजीत पुत्र जेठाराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर।
2. रामप्यारी पुत्री जेठाराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर।
3. अनकौरी पुत्री जेठाराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री राजपाल झोरड अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 13/06/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 676/650 के खसरा न0 608/1061 की कुल 1.2650हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में हजारीराम वल्द जेठाराम के नाम से दर्ज है जो वादी का भाई है हजारीराम वल्द जेठाराम एव उसकी पत्नी गोरादेवी का देहान्त हो चुका है हजारीराम वल्द जेठाराम लावल्द फोत हुआ है हजारीराम वल्द जेठाराम के प्रथम श्रेणी के वारिस उसके भाई बहन है जो हजारीराम वल्द जेठाराम की भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 वादी की बहने है एवं जेठाराम की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की हजारीराम वल्द जेठाराम जो वादी का भाई है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 बहिब के खातेंदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने निवेदन किया की वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में हजारीराम वल्द जेठाराम के नाम से दर्ज है जो वादी का भाई है हजारीराम वल्द जेठाराम एव उसकी पत्नी गोरादेवी का देहान्त हो चुका है हजारीराम वल्द जेठाराम लावल्द फोत हुआ है हजारीराम वल्द जेठाराम के प्रथम श्रेणी के वारिस उसके भाई बहन है जो हजारीराम वल्द जेठाराम की भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाईयो वादी एवं प्रतिवादी

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

संख्या 1 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 4 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों को सुना गया

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया की रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 676/650 के खसरा न0 608/1061 की कुल 1.2650हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में हजारीराम वल्द जेठाराम के नाम से दर्ज है जो वादी का भाई है हजारीराम वल्द जेठाराम एव उसकी पत्नी गोरादेवी का देहान्त हो चुका है हजारीराम वल्द जेठाराम लावल्द फोत हुआ है हजारीराम वल्द जेठाराम के प्रथम श्रेणी के वारिस उसके भाई बहन है जो हजारीराम वल्द जेठाराम की भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 वादी की बहने है एवं जेठाराम की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद/कथनो को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 676/650 के खसरा न0 608/1061 की कुल 1.2650हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में हजारीराम वल्द जेठाराम के नाम सें दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में हजारीराम वल्द जेठाराम के नाम से दर्ज है जो वादी का भाई है हजारीराम वल्द जेठाराम एव उसकी पत्नी गोरादेवी का देहान्त हो चुका है हजारीराम वल्द जेठाराम लावल्द फोत हुआ है हजारीराम वल्द जेठाराम के प्रथम श्रेणी के वारिस उसके भाई बहन है जो हजारीराम वल्द जेठाराम की भूमि के हकदार है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है तथा वादी के कथनों की पुष्टि प्रस्तुत मृत्यू प्रमाण पत्र से होती है

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य बुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित ने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 ने अपने हकों का त्याग क्ये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी ायोचित है।

अतः वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेरोकार ज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं ायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर ाषणा की जाती है कि रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 676/650 के खसरा न0 08/1061 की कुल 1.2650हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में हजारीराम वल्द जेठाराम के ाम सें दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 दोनो बहिब के ातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु जराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि मि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद भयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल ासल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल फ्तर हो ।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 13/06/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी ो गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. रामप्रताप पुत्र जेठाराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 रणजीत पुत्र जेठाराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर।
2. रामप्यारी पुत्री जेठाराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर।
3. अनकौरी पुत्री जेठाराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 266 सन 2022 निर्णय दिनांक– 13/06/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 676/650 के खसरा न0 608/1061 की कुल 1.2650हैव भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में हजारीराम वल्द जेठाराम के नाम सें दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 दोनो बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 13/06/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)